अध्याय: VIII

8.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की सारांशीकृत स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए उनके नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच करके उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

31 मार्च 2013 (**परिशिष्ट-VIII**) को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकाय) में निहित पैरागाफों पर का.टि. की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा ने उजागर किया कि मंत्रालयों ने उपरोक्त निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में पैराग्राफों से संबंधित उपचारी/सुधारक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 115 पैराग्राफ जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 29 पैराग्राफों से संबंधित का.टि. बिलकुल भी प्राप्त नहीं हुई थीं, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

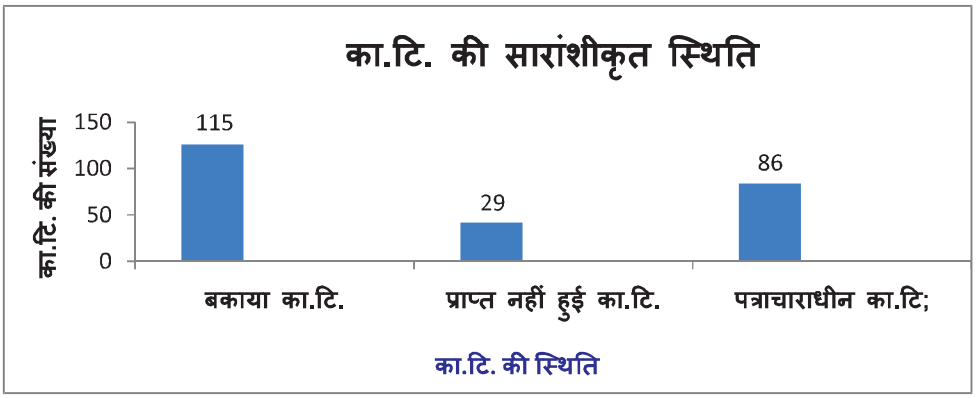

86 पैराग्राफों से संबंधित अंतिम का.टि. जो कि पत्राचार अधीन थे, विभिन्न स्तरों पर बकाया थे। इन 86 पैराग्राफों में से 18 पैराग्राफ, वर्ष 2003 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित थे अर्थात 10 वर्षों से अधिक पुराने थे।

नई दिल्ली
दिनांकः 23 अगस्त 2013

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 26 अगस्त 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक